

कोटेशन

निदेशालय के पत्र क्रमांक निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 24.06.2022 से जिला सवाई माधोपुर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार कराई जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से फर्म के लैटर पर दिनांक 19.07.2022 को सायं 3:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 19.07.2022 को सांयकाल 5:00 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर दरे अनुमोदित की जावेगी। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार होगी।
2. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण (Replenishment Study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
3. स्वीकृत दर पर फर्म को भुगतान निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
4. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक का ब्योरा देना होगा।
5. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा 2 माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर से सत्यापन करा SEAC/SEIAA को अनुमोदन हेतु भिजवायेगा।
6. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
7. निविदा से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का मान्य होगा।

भवदीय,

सहायक खनि अभियन्ता

सवाई माधोपुर.

दिनांक:- 15/7/22

क्रमांक:- स.ख.अ./स.मा./ माचि/2022/359 - 363

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर वृत्त भरतपुर।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक खनि अभियन्ता

सवाई माधोपुर